न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 04/2024 निर्णय दिनांक: २४.९.२०२५

ऑनलाईन नंबर: 2024/7

रेवन्तसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 883 तादादी 3.6400 हैक्टेयर रोही धनेरू में स्थित है उक्त खेत मूल खेत खसरा नम्बर 751 तादादी 57 बीघा 12 बिस्वा से बना है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई रामेश्वर, बद्री एवं मोहन ने आपसी सहमति से खाता विभाजन दिनांक 24.02.1983 को उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 24.02.1983 के द्वारा किया था जिसमें विभाजन के नामान्तरण संख्या 493 दिनांक 20.03.1983 के सलग्न नक्शा में मौके कब्जे के अनुसार सीमाऐ दर्शायी हुई है। मौके कब्जे एवं विभाजन के अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में प्रार्थी के खेत की तरमीम होनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने विभाजन एवं मोके कब्जे के विपरीत तरमीम कर दी। वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो ने बिना जांच किये वादगत खेतो की तरमीम विभाजन एवं मौके के विपरीत कर दी जिसको प्रार्थी मौके कब्जे के अनुसार करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 08.12.2021 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की प्रार्थी के खेत की तरमीम मौके कब्जे एवं विभाजन के विपरीत है जिसको प्रार्थी ने अप्रार्थी से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे एवं विभाजन में दर्शाये अनुसार नही है राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसे मौके कब्जे काश्त के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। प्रार्थी के खेत की राजस्व नक्शे में तरमीम विभाजन एवं मौके कब्जे के विपरीत होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कारित हो रही है। प्रार्थी की भूमि रोही धनेरू में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना पत्र जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जावे कि खसरा नम्बर 883 तादादी 3.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 तादादी 3.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 तादादी 3.6400 हैक्टेयर रोही धनेरू की तरमीम विभाजन के नामान्तरण संख्या 493 दिनांक 20.03.1983 के सलग्न नक्शानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 883 तादादी 3.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 तादादी 3.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 884 तादादी 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 तादादी 3.6400 हैक्टेयर रोही धनेरू की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्श निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:52 IST
Reason: SelfAttested